310

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

===

निगरानी क्रमांक- R 2182-III/14 सन्-2014

देवी शरण सोनी तनयश्री राजाभैया सोनी

निवासी ग्राम बमीठा तह० राजनगर जिला छतरपुर म०प्र० . . निगरानीकर्ता

बनाम

1- अजय मिश्रा तनयश्री रामराज मिश्रा

निवासी पन्ना रोड बमीठा तह०राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०

2- श्रीमती भारती पत्नी राम दयाल मिश्रा

निवासी सेवा ग्राम खजुराहो तह० राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०

3- म०प्र० शासन .. .. अनावेदकगण

21/7/14

यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील राजनगर द्वारा प्र०क्र०-89/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 08.07.14 के विरूद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

=================================

21/7/14

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ख०नं०-1451/2/1 रकबा 6.070 हे० स्थित ग्राम पोरा पूर्व में शिव प्रसाद तनय सूरज गौड निवासी कल्याणपुरा जिलापन्ना के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि थी , जो उसे शासन से प्राप्त हुई था । उक्त शिव प्रसाद गौड ने न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष उक्त भूमि में से रकबा-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2182-तीन/2014 जिला छतरपुर देवीशरण विरूद्ध अजय व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 08-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019	